न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील/03/2020

नानक चंद पुत्र हरभानसिह जाति जाट निवासी कूम्हा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

....अपीलार्थी0

बनाम

1–हरभानसिंह पुत्र हीरासिंह जाति जाट निवासी कूम्हां तहसील जिला भरतपुर

.....असल रेस्पो.

2–ओमप्रकाश । पुत्रगण हरभानसिह जाति जाट निवासी कूम्हां तहसील कुम्हेर
3–दीपू । जिला भरतपुर राज0

..... रेस्पो.

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर दिनांक 25–2–2020

———

उपस्थितः–

1–श्री विजयसिंह कुन्तल अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री मोहनसिंह राना, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 24.5.2022

अपीलार्थी ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर आदेश दिनांक 25–2–2020 के पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–2–2020 में आदेश दिया है कि अप्रार्थी नानकचन्द, ओमप्रकाश, दीपू पुत्रान हरभानसिह तीनों पुत्रों को राशि 1500/– 1500/– प्रतिमाह भरण पोषण हेतु प्रार्थी हरभानसिह पुत्र हीरासिंह के खाते में जमा करावें। उक्त आदेश से व्यथित होकर एक पुत्र नानकचन्द पुत्र हरभानसिह ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से जबाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने एक तरफा में आदेश पारित किया है अप्रार्थी अपीलान्ट के वकील उपस्थित नहीं थें। उन्होने बताया कि अपीलान्ट के पिता हरभानसिंह के पास 18 बीघा जमीन है जिसकी सारी कमाई पिता हरभानसिह ही

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

लेते हैं, इससे लगभग 4 लाख रुपये वार्षिक आय उन्हें मिल जाती है, जिनसे उनका भरण पोषण में कोई दिक्कत नहीं आती है। पिता हरभानसिह ने पैत्रिक आराजी पर स्वयं ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर बैंक से ऋण ले रखा है इस राशि से कमाई करते हैं जिससे ब्याज की आय होती है, इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पैंशन भी एक हजार प्रतिमाह प्राप्त कर रहा है। अपीलान्ट को मात्र 2 बीघा जमीन काश्त पर दे रखी है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि रेस्पो न.1 हरभानसिह ने अपनी पत्नी को घर से निकाल रखा है, जो कि अपीलान्ट के साथ (मां) रहती है। अपीलान्ट अपने परिवार के साथ साथ अपनी मॉ जो कि अपीलान्ट के साथ रहती है उसका भी भरण पोषण कर रहा है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि रेस्पो. हरभान की दो पत्नियां हैं, जिनमें से एक पत्नी से अपीलान्ट व दूसरी पत्नि से रेस्पो. 2 व 3 हैं हरभानसिह अपीलान्ट का सगा पिता है जो दूसरी पत्नि के साथ रहते हैं। पिता हरभानसिह ने कुछ भूमि का दान पत्र रेस्पो0 संख्या 2 व 3 भाईयां के नाम कर दिया है तथा कुछ भूमि अन्य को भी बेचान कर दी है। इस सम्बन्ध में उन्होने हमारा ध्यान दानपत्र एवं विक्रय पत्र प्रति की ओर आकर्षित किया। पिता हरभान अपने दोनों पुत्र रेस्पो. 2 व 3 के साथ रहता है। अपनी सारी कमाई इनको ही देता है। हरभान को भरण पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है उसकी आय इतनी है कि वह अपना खर्चा आसानी से चला सकता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने जाहिर किया कि हरभानसिह वृद्ध पिता है। हरभान के पुत्र परिस्थित बताकर वृद्धावस्था में पिता के भरण पोषण के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है। अपीलान्ट एवं रेस्पो. 2, 3 तीनों पुत्रों का दायित्व है कि वे अपने परिवार के साथ अपने बुढे मॉ बाप की सेवा सुश्रा करें। तहत न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.2.2020 का अवलोकन किया गया। एस.डी.एम. कुम्हेर ने अपने अपीलाधीन आदेश में पिता हरभानसिंह को भरण पोषण राशि 1500/– 1500/– के बैंक खाते में जमा कराने के लिये दोनों तीनों पुत्र 1–नानकचन्द 2–ओमप्रकाश, 3–दीपू को निर्देश दियें हैं। उक्त आदेश के खिलाफ एक पुत्र नानकचन्द ने अपील पेश कर इस पर आपत्ति की है, हरभानसिंह के पास 18 वीघा कृषि भूमि है जिस से उसकी 4–5 लाख की वार्षिक आमदनी होती है, हरभान वृद्धवस्था पेंशन भी प्राप्त कर रहा है। अपीलाधीन आदेश हरभानसिंह की आय स्त्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तथ्यों के बिना कोई जांच किये केवल हरभानसिह की प्रार्थना पर सुक्ष्म आदेश पारित किया गया है ऐसा आदेश नोन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है। चूंकि अपीलाधीन आदेश

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0.

के खिलाफ अन्य रेस्पो/अप्रार्थी न. 2 व 3 की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर प्रकरण एस.डी.एम. कुम्हेर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.2.2020 अपीलान्ट नानकचन्द के हक तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधान "....CHAPTER II के 4(1) A senior citizen including parent who is unable to maintain himself from his own earning or out of the property owend by him shall be entitled to make an application under section 5 in case of ----।" के परिप्रेक्ष्य में पुनः जांच करें तथा पक्षकार को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया अन्दर 30 दिवस विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान तहत न्यायालय एस.डी.एम.कुम्हेर में दिनांक 7–6–2022 को उपस्थित हों।

निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को पालनार्थ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर